अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/क0ले0प्र0/अलेसे–III/626 दिनांक :– 09-5 .2019

समस्त कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय ....
राजस्थान

विषयः– कनि0 लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित एवं अन्य नवनियुक्त कनि0 लेखाकारों के जिला स्तर पर 02 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कनि0 लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित कनि0 लेखाकार एवं अंन्य नवनियुक्त (DGS) कनि0 लेखाकारों में से अधिकांश को जिला स्तर पर आपके द्वारा 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

कनि0 लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 में चयनित अधिकांश कनि0 लेखाकारों की परिवीक्षाकाल अवधि माह जून–जुलाई 2019 में पूर्ण हो रही है। कार्मिक के स्थायीकरण आदेश जारी करने हेतु उनका परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण होने से पूर्व उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।

अतः आपके जिले में कार्यरत जिन कनि0 लेखाकारों द्वारा आदिनांक तक 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हुआ है, उनको जिला स्तर पर मई माह में 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण शीघ्र देकर इसकी सूचना निदेशालय को निम्नानुसार प्रारूप में विभागीय ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर भिजवाने के साथ ही हार्ड प्रति भी भिजवाने का श्रम करें। उक्त प्रशिक्षण उपलब्ध बजट मद में से ही कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

इसके साथ ही पूर्व में जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने जिला स्तर पर 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनकी सूचना भी शीघ्र निदेशालय को इसी प्रारूप में भिजवाने का श्रम करावे।

क.सं.	नाम कार्मिक/पिता का नाम	मेरिट क्रमांक/लिंक न.	पदस्थापन कार्यालय का नाम	02 सप्ताह प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान एवं जिले का नाम

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/क0ले0प्र0/अलेसे–III/626 दिनांक :– 09-05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत क0लेखा0 को उक्त प्रशिक्षण के लिए आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें।
3. सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि जिन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक 02 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, वे अपने कोषाधिकारी से सम्पर्क कर उक्त प्रशिक्षण आवश्यक रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में वे स्वयं जिम्मेदार होगें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)